<u>न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, हरदोई</u>

सत्र वाद संख्या–1055/2024
राज्य बनाम नीरज आदि

<u>दिनांक–19.03.2026</u>

पत्रावली पेश हुयी। उभय पक्ष को प्रार्थना पत्र 119 ब पर पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है।

<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र 119 ब</u>

प्रार्थिनी अरू मेहरोत्रा की ओर से प्रार्थना पत्र 119 ब इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि वह मृतक कनिष्क मेहरोत्रा की पुत्री है। वह घटना की दिनांक 30.07.2024 को घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं थी। वह अपने पिता से घटना से पूर्व से सभी प्रकार से बातचीत करती थी व घर पर आया जाया करती थी और सभी सुख दुख से संबंधित वार्ता करती थी। विवेचक द्वारा उसका साक्ष्य लिया गया था परन्तु विवेचक द्वारा उसको सूची गवाहान में शामिल नहीं किया गया है उसने मुकदमा पक्षकार बनाये जाने प्रार्थना पत्र कागज संख्या 104 ब प्रस्तुत किया था, जिसे न्यायालय द्वारा दिनांक 07.08.2025 को स्वीकार करते हुए उसको पैरवी करने की अनुमति प्रदान की गयी। वह न्यायालय में अपना साक्ष्य देना चाहती है। उसका साक्ष्य वाद में सम्यक निस्तारण एवं न्यायहित में आवश्यक है। उक्त आधार पर उसका साक्ष्य अंकित कराये जाने की याचना की है।

प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र 119 ब पर अभियुक्तगण की ओर से लिखित आपत्ति 122 ब इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि वे उपरोक्त मुकदमा में अभियुक्त है। अरू मेहरोत्रा उपरोक्त मुकदमा की वादिनी अथवा पक्षकार नहीं है परन्तु न्यायालय द्वारा केवल पैरवी करने की अनुमति दी गयी है। अरू मेहरोत्रा उपरोक्त मुकदमा की कथित घटना की साक्षी नहीं है और न ही कथित घटना दिवस शहर हरदोई में मौजूद थी। अरू मेहरोत्रा से उपरोक्त मुकदमा के विवेचक से विवेचना के दौरान न मिली, न बयान दिया। विवेचक ने भी उसे आरोप पत्र में साक्षी के रूप में अंकित नहीं किया है। जब अरू मेहरोत्रा का बयान धारा 180 बी०एन०एस०एस० अंकित नहीं है, ऐसी दशा में उसके साक्ष्य का कोई मूल्य नहीं है। अरू मेहरोत्रा ने प्रार्थना पत्र असत्य व गलत कथन के आधार पर प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में अरू मेहरोत्रा में यह असत्य अंकित कराया है कि उसका साक्ष्य विवेचक द्वारा लिया गया है तथा न्यायालय द्वारा पक्षकार बनाया गया है। अरू मेहरोत्रा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि वह किस तथ्य का साक्ष्य देना चाहती है। अरू मेहरोत्रा विधि सलाह से मुकदमा साक्ष्य को बल देने के लिए तथा अभियोजन साक्ष्य देने के लिए गलत आधार पर प्रस्तुत किया गया है। अरू मेहरोत्रा का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध व निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आधार पर अरू मेहरोत्रा का प्रार्थना पत्र 119 ब निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

धारा 348 बी०एन०एस०एस०(311 दं०प्र०सं०) के अन्तर्गत यह प्रावधानित है कि" कोई न्यायालय इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के किसी प्रक्रम में किसी व्यक्ति को साक्षी के तौर पर समन कर सकता है या किसी ऐसे व्यक्ति की, जो हाजिर हो, यद्यपि वह साक्षी के रूप में समन न किया गया हो, परीक्षा कर सकता है, किसी व्यक्ति को, जिसकी पहले परीक्षा की जा चुकी है पुनः बुला सकता है और उसकी पुनः परीक्षा कर सकता है, और यदि न्यायालय को मामले के न्यायसंगत विनिश्चय के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य आवश्यक प्रतीत होता है, तो वह ऐसे व्यक्ति को समन करेगा और उसकी परीक्षा करेगा या उसे पुनः बुलाएगा और उसकी पुनः परीक्षा करेगा।"

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थिनी अरू मेहरोत्रा,मृतक की पुत्री है तथा प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना 101 ब को मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 20.09.2025 को स्वीकार करते हुए प्रार्थिनी को उक्त वाद की पैरवी करने की अनुमति प्रदान की गयी है। प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना पत्र 119

ब इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वह घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं थी। वह अपने पिता से घटना से पूर्व से सभी प्रकार से बातचीत करती थी व घर पर आया जाया करती थी और सभी सुख दुख से संबंधित वार्ता करती थी। विवेचक द्वारा उसका साक्ष्य लिया गया था परन्तु विवेचक द्वारा उसको सूची गवाहान में शामिल नहीं किया गया है।

प्रार्थिनी मृतक की पुत्री है तथा वाद के वास्तविक तथ्यों पर प्रकाश डाल सकती है। अतः वह एक सक्षम साक्षी है और उसका साक्ष्य वाद के अंतिम निर्णय पर पहुंचने एवं उभय पक्ष के न्यायपूर्ण निर्णयन के लिए अंकित कराया जाना न्यायोचित होगा। अभियुक्तगण की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अरू मेहरोत्रा ने विधि सलाह से अभियोजन साक्ष्य में आयी कमियों को दूर करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। वस्तुतः प्रार्थिनी द्वारा प्रकरण के तथ्यों पर साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है तो प्रतिरक्षा पक्ष को उसके संबंध में प्रतिपरीक्षा का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होगा तथा प्रतिरक्षा साक्ष्य के द्वारा भी उसके साक्ष्य का खण्डन का अवसर प्राप्त होगा।

उल्लेखनीय है कि प्रार्थिनी द्वारा दिये गये साक्ष्य को विचार में लेने से पूर्व न्यायालय को उस साक्ष्य की सुसंगतता, ग्राह्यता एवं विश्वसनीयता पर विचार करना होगा तथा उपरोक्त मानदण्डों पर खरा उतरने पर ही उस साक्ष्य को वाद के अंतिम रूप में निस्तारण के समय विचार में लिया जा सकेगा।

निष्कर्षतः प्रार्थिनी के मृतक की पुत्री होने तथा मृत्यु से पूर्व, मृतक के साथ, उसके नैसर्गिक संबंधित होने के कारण, स्वाभाविक रूप से वार्तालाप होने के कथन को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र 119 ब स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी अरू मेहरोत्रा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना 119 ब स्वीकार किया जाता है। पत्रावली साक्ष्य प्रार्थिनी दिनांक 03.04.2026 को पेश हो।

दिनांक–19.03.2026

(रीता कौशिक)
सत्र न्यायाधीश,
हरदोई।